

JHARKHAND STATE PARAMEDICAL COUNCIL, RANCHI

Performa- RF 1

Registration Application From (Please fill up the form in Capital Block Letter)

То		
The Registrar,		For Office Use Only
Jharkhand State Paramedical Council, RIMS Campus (PSM Dept.), Ranchi-09		
		Serial No.&Date:
		e)
above, I 'her		
SBI Co	<u>Payı</u> ollect Ref. No	ment -Details:
Amount (Rs.)		
Present Add		
Permanent A	idai css.	
Mobile No.:	Email-ID:	Aadhaar No
List of Enclo	DSURE :1) Attested Photocopy of Matricula	ation \square
	2)Attested Photocopy of Admit Card	
	3) Attested Photocopy of Marks- sheet4) Attested Photocopy of Passing Cert.	Faithfully,
	5) Attested Photocopy of Certificate is:	
.	any other competent authority	
Mandatory)	7) 2 Color photo & 2 Applicant's Signa (Duly attested by Principal/Course co-ordin	
	Director of the Institute/College)	
		Applicant's Signature

निबन्धन हेतु दिशा-निर्देश:

- 1. निबन्धन हेतु निर्धारित शुल्क ONLINE PAYMENT SBI COLLECT के माध्यम से होगा ।
- 2, निबन्धन / माइग्रेशन प्रमाणपत्र / विलम्ब शुल्क (निबन्धन) केवल <u>ONLINE</u>

 <u>PAYMENT</u> के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा ।
- 3. आवेदक का फोटोग्राफ आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि से छः माह के अन्दर का होना चाहिए एवं फोटो पर आवेदक का नाम अंकित होना चाहिए।
- 4. निबन्धन / माइग्रेशन प्रमाणपत्र आवेदन परिषद् कार्यालय में जमा के समय डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैद्यता कम से कम दो माह शेष होना अनिवार्य है।
- 5. निबन्धन आवेदन के साथ संलग्न अभिप्रमाणित प्रपत्रों की वैद्यता तीन माह तक ही मानी जाएगी।
- 6. निबन्धन एवं माइग्रेशन प्रमाणपत्र हेतु शुल्क विवरणीः
 - For G.P.I., RIMS, Ranchi/PMCH, Dhanbad/ MGM. Jamshedpur,
 Sadar Hospitals Rs. 1500/-
 - For Other institutes within Jharkhand State (except above) Rs. 1500/-
 - For institutes outside Jharkhand Rs. 3000/-
- 7. झारखण्ड से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के निबन्धन हेत् अनिवार्य दिशा-निर्देशः
 - सम्बंधित राज्य के पारामेडिकल परिषद् से निर्गत निबन्धन प्रमाणपत्र
 - No Objection Certificate प्रमाणपत्र (सम्बंधित राज्य सरकार / पारामेडिकल परिषद्)
- अावेदक निबन्धन—आवेदन प्रपत्र जमा करने स`पूर्व उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट रुप से समझलें।
 अपूर्ण / अधूरा / निबन्धन नियमों के विरुद्ध प्राप्त निबन्धन आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा।